न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रशिक्षण), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

प्रकरण संख्या : 33/17 P_rcms id : 2017/00087

1. मोहनलाल आत्मज स्व. प्रभूलाल जरिये कायम मुकामान –
1/1. रामावतार पुत्र स्व. मोहनलाल, उम्र 50 साल
1/2. किशन पुत्र स्व. मोहनलाल, उम्र 45 साल
जाति राव, निवासी मकान नम्बर 839, केशवपुरा, मन्दिर के पास, कोटा
2. स्व. मदनलाल आत्मज स्व. प्रभूलाल जरिये कायम मुकामान –
2/1. कान्तीबाई पत्नी स्व. मदनलाल, उम्र 58 साल
2/2. ललित शर्मा आत्मज स्व. मदनलाल, उम्र 38 साल
2/3. दिनेश शर्मा आत्मज स्व. मदनलाल, उम्र 30 साल
जाति राव, निवासीगण मकान नं. 728, केशवपुरा सेक्टर–7, लक्ष्मीनाथीजी मन्दिर के पास, कोटा
3. कैलाशचन्द आत्मज स्व. प्रभूलाल, उम्र 64 साल, जाति राव, निवासी मकान नम्बर 201, रंग विहार, कोटा

– वादीगण

बनाम

1 रामकन्या बाई पुत्री स्व. गुलाबचन्द, उम्र 78 साल, जाति राव, निवासिनी ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए आर.टी.एक्ट
वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक : 20.02 .2020

निर्णय

वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए आर.टी.एक्ट वास्ते घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व्यादेश पेश कर निवेदन किया कि :–

ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता स्वर्गीय गुलाब चन्द के खाते व कब्जें की आराजी पुराना खसरा नम्बर 482 मसानी तलाई 1 बीघा 2 बिस्वा चाही अव्वल लगानी सालाना 5.50 पैसे, खसरा नम्बर 483 मोसमें पाटी 2 बीघा 7 बिस्वा चाही अव्वल 1 बीघा 16 बिस्वाव जाव अव्वल 11 बिस्वा जुमला 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि लगानी सालाना 15.46 पैसे स्थित थी। सम्वत् 2038 से 2057 के दौरान लाडपुरा तहसील में द्वितीय सेटलमेन्ट हुआ और उक्त खसरा नम्बरान् के नये खसरा नम्बर 731 रकबा 0.31 हैक्टर व खसरा नम्बर 734 रकबा 0.19 हैक्टर कुल 2 किता की कुल क्षेत्रफल 0.50 हैक्टर दर्ज की गई। उक्त आराजी वर्तमान में वादीगण के शामलाती कब्जें काश्त में चली आ रही है, जिसमें वादी नम्बर 2 का कुछ समय पूर्व देहान्त हो गया है जिनके कायम मुकामान वादी 2(1) से 2(3) है।

प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता स्वर्गीय गुलाब चन्द द्वारा उक्त आराजी का विक्रय दिनांक 12 जून 1979 को वादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 2 कायम मुकामान के पिता व पति मदनलाल जी व

सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

वादी नम्बर 3 को रूपये 3500/– रूपयें में पारिवारिक आवश्कता होने के कारण बेचान कर दिया था, जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 रामकन्या बाई की भी अंगुठा निशानी दर्ज है। उक्त बेचान की रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय कोटा में गुलाबचन्द द्वारा करवाई गई तथा मौके पर बेचान के समय ही क्रेता वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया और खरीद की दिनांक से ही आज तक वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वादीगण द्वारा उक्त आराजी की खरीद के आधार पर इन्तकाल खुलवाने हेतु तहसील में जाकर तत्काल हल्का पटवारी से मिलने पर उसके द्वारा आश्वस्त किया गया कि आपके नाम इन्तकाल तस्दीक हो जावेगा बाद में जब तत्कालीन पटवारी महोदय से मिले तो उन्होने कहा कि आपका इन्तकाल खुल चुका है जिस पर वादीगण निश्चिन्त हो गये, वादीगण नोकरी पेशा होने के कारण तथा गांव से बाहर निवास करने के कारण उक्त राजस्व रिकार्ड को नही देख सके और प्रतिवादी नम्बर 1 ने भी कभी उक्त कृषि आराजी को लेकर कभी कोई आपत्ति नही की तथ वादीगण का लगातार कब्जा काश्त होने के कारण वादीगण को कभी भी इस बात की जानकारी नही हो सकी। जब वादीगण किसी कार्य से दिनांक 12.05.2017 को तहसील में गये तो वादीगण को हल्का पटवारी से जानकारी हुई कि उपरोक्त कृषि आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हो चुकी है जिस पर वादीगण द्वारा उसी दिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 15.05.2017 को नकल प्राप्त हुई, तब वादीगण को इस बात की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई कि वास्वत में प्रतिवादी नम्बर 1 ने धोखाधड़ी करके अपने नाम दर्ज करवा ली है। वादीगणों को प्रतिवादी नम्बर 1 पर पूर्ण विश्वास था कि वह कभी भी वादीगण के साथ ऐसा छल कपट नही करेगी क्योकि प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा उक्त आराजी को बेचान करते समय स्वयं द्वारा पृथक से एक स्टाम्प पर अगुंठा निशानी करके दो गवाहों से उसे अनुप्रमाणित करवाया गया था वादीगणों के इसी विश्वास का फायदा उठाकर प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण के साथ उक्त धोखाधड़ी करके ना जाने कब स्वयं के नाम इन्तकाल खुलवाकर अपने खातें दर्ज करवा ली। प्रतिवादी नम्बर 1 जो विक्रेता स्वर्गीय गुलाब चन्द की एकमात्र वारिस है उसने छल कपट, धोखाधड़ी से उक्त बेचान दिनांक 12.06.1979 के तथ्यों को छुपाकर उक्त आराजी का इन्तकाल उत्तराधिकार के आधार पर स्वयं के नाम खुलवा कर उक्त आराजी को स्वयं के खाते दर्ज करवा लिया, जिसका कि उसको कोई अधिकार प्राप्त नही था।

प्रतिवादी नम्बर 2 को लैण्ड हौल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 से दिनांक 14.05.2017 को जाकर मिले तथा प्रतिवादी नम्बर 1 से कहा कि तुमने और तुम्हारे पिताजी ने उक्त आराजी हमारे को बेचान कर दी थी फिर भी तुमने हमारे साथ छल कपट, धोखाधड़ी करके उक्त आराजी का इन्तकाल खुद के नाम खुलवा कर खुद के खाते दर्ज करवा ली, जबकि आज भी कब्जा काश्त हमारा है, अब तुम तहसील में चलकर उक्त आराजी को वापिस हमारे खाते दर्ज करवाओं जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया, और उसने कहा कि उक्त आराजी को तुम्हारे खाते दर्ज नही करवाउंगी तथा धमकी दी कि उक्त आराजी को बेचान करके रहुंगी, तुमकों जो करना हो वह कर लो। इसलिए वादीगण के लिए उक्त वाद लाना आवश्यक हो गया है।

उक्त रजिस्ट्री के आधार पर तथा वादीगण के कब्जा काश्त में उक्त आराजी होने तथा प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अवैधानिक रूप से स्वयं के खाते दर्ज करवा लेने से वादीगण के लिए उक्त आराजी पर स्वयं के खातेदारी अधिकारों के घोषणां करवाया जाना तथा इन्द्राज दुरूस्ती भी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 14.05.2017 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 से उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज करने की कहने पर उसके द्वारा स्पष्ट इन्कार कर देने तथा उसके द्वारा उक्त आराजी को बेचान करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। उपरोक्त भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने उपरोक्त वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 731 रकबा 0.31 हैक्टर

सहायक कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

व खसरा नम्बर 734 रकबा 0.19 हैक्टर कुल 2 किता की कुल क्षेत्रफल 0.50 हैक्टर वाके ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम खाते से निकालकर वादीगण का नाम दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध व्यादेश जारी किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 2 को आदेश दिया जावे कि उक्त खाते से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम निकालकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करे।

वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

(a) प्रदर्श–1 : मूल रजिस्ट्री दिनांक 12.06.1979.
(b) प्रदर्श–2 : असल स्टाम्प दिनांक 07.11.1979.
(c) प्रदर्श–3 : मिलावन क्षैत्रफल संवत 2038–2057.
(d) प्रदर्श–4 : नकल जमाबन्दी संवत 2059–2062.
(e) प्रदर्श–5 : सत्य प्रतिलिपि पर्चा लगान, भू. प्रबन्ध विभाग

न्यायालय में दावा पेश होने के पश्चात दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की तलवी हेतु जर्ये रजिस्टर्ड डाक तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 अनुसार, जर्ये रजिस्टर्ड डाक सम्मन जारी किये जाने के उपरान्त 30 दिवस की अवधि समाप्त हो जाने पर भी प्रतिवादी क्रम–1 अथवा उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, फलस्वरूप प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में गवाह के रूप में सभी वादीगण द्वारा अपने स्वयं के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये गये जिनमें वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं के अनुसार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व व्यादेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा से विवादित आराजी पर कब्जे काश्त की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई, जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार तहसील लाडपुरा, जिला कोटा से प्राप्त रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि *"विवादित खसरा नम्बर 731 एवं 734 वाके ग्राम बनियानी के मजमे आम में उपस्थित होकर प्राप्त की गई जानकारी अनुसार ग्रामीणों ने बताया है कि गुलाबचन्द राव ने उक्त खसरे लगभग 40–45 साल पूर्व में प्रभूलाल को बेचान कर दिये थे। 40–45 वर्ष से प्रभूलाल व उसके वारिसानों का कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान जमाबन्दी रिकार्ड उक्त खसरे रामकन्या बाई के नाम दर्ज है।"*

प्रकरण पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई, साथ ही वादी अभिभाषक द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रम–1 के स्थान पर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर, विवादित आराजी वादीगण के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात मय तहसील रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में वादीगण की ओर से पेश किये गये दस्तावेजों में मूल रजिस्ट्री दिनांक 12.06.1979 (प्रदर्श–1), असल स्टाम्प दिनांक 07.11.1979, (प्रदर्श–2), मिलावन क्षैत्रफल संवत 2038–2057, (प्रदर्श–3), नकल जमाबन्दी संवत 2059–2062, (प्रदर्श–4) और सत्य प्रतिलिपि पर्चा लगान, भू. प्रबन्ध विभाग, (प्रदर्श–5) तथा तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा से प्राप्त रिपोर्ट से वादी क्रम 1, 2 व 3 के पिता स्व. श्री प्रभूलाल द्वारा विवादित आराजी का क्रय किया जाना प्रमाणित होने से वाद वादीगण स्वीकार कर "ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की

सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी खसरा नम्बर 731 रकबा 0.31 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 734 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.50 हैक्टर में वादी क्रम 1, 2 व 3 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः विवादित खसरा नम्बर 731 व 734 में अंकित खातेदार (प्रतिवादी क्रम–1) रामकन्या बाई के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।'' डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार पालना किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20 फरवरी, 2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/2/2020

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

सहायक कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, I.A.S. (P)

बउनवान :– P_rcms id : 2017/00087

1. मोहनलाल आत्मज स्व. प्रभूलाल जरिये कायम मुकामान –
1/1. रामावतार पुत्र स्व. मोहनलाल, उम्र 50 साल
1/2. किशन पुत्र स्व. मोहनलाल, उम्र 45 साल
जाति राव, निवासी मकान नम्बर 839, केशवपुरा, मन्दिर के पास, कोटा
2. स्व. मदनलाल आत्मज स्व. प्रभूलाल जरिये कायम मुकामान –
2/1. कान्तीबाई पत्नी स्व. मदनलाल, उम्र 58 साल
2/2. ललित शर्मा आत्मज स्व. मदनलाल, उम्र 38 साल
2/3. दिनेश शर्मा आत्मज स्व. मदनलाल, उम्र 30 साल
जाति राव, निवासीगण मकान नं. 728, केशवपुरा सेक्टर–7, लक्ष्मीनाथीजी मन्दिर के पास, कोटा
3. कैलाशचन्द आत्मज स्व. प्रभूलाल, जाति राव, निवासी मकान नम्बर 201, रंग विहार, कोटा
– वादीगण

बनाम

1 रामकन्या बाई पुत्री स्व. गुलाबचन्द राव, उम्र 78 साल, निवासिनी ग्राम बनियानी, जिला कोटा
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा – प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88, 89, 92A RTA
मुकदमा नम्बर : 33 / 17
निर्णय दिनांक : 20-02-2020

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री सुधीन्द्र यादव की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 20–02–2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीगण स्वीकार कर "ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 731 रकबा 0.31 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 734 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.50 हैक्टर में वादी क्रम 1, 2 व 3 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः विवादित खसरा नम्बर 731 व 734 में अंकित खातेदार (प्रतिवादी क्रम–1) रामकन्या बाई के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।" डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार पालना किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।
– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 20.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

20/2/2020
(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner